संशोधित

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 7948 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2023 रायपुर, दिनांक **08 अगस्त 2023**

शैक्षणिक सत्र 2023–24 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (MD / MS) की राज्य कोटे प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की सूचना

शैक्षणिक सत्र 2023–24 छत्तीसगढ़ के राज्य कोटे की चिकित्सा स्नातकोत्तर सीटों (MD/MS) पर प्रवेश के लिये राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित NEET-PG-2023 द्वारा घोषित पात्र अभ्यर्थियों (**Cut off Score – As per National Board of Examinations {संलग्न देखें}**) निम्न समय–सारणी के अनुसार ऑनलाईन आवेदन शुल्क सहित आमंत्रित है। (आवेदन के पूर्व लागू छत्तीसगढ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2021 का अवलोकन अवश्य करे) : –

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन शुल्क **(Non Refundable)**	राशि रू. 2,000 / – (रू. दो हजार मात्र)
2	पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि - **Security Deposit Money**)	देखें इस सूचना के पेज क्रं.2 की पंजीयन राशि तालिका
3	ऑनलाईन आवेदन – प्रारंभ तिथि	दिनांक 12 अगस्त 2023 **समय (Server Time) 17.00 Hrs. (05:00 PM) से**
4	ऑनलाईन आवेदन – अंतिम तिथि	दिनांक 18 अगस्त 2023 **समय (Server Time) 17:00 Hrs. (05:00 PM) तक**
5	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (Choice Filling and Locking)	दिनांक 18 अगस्त 2023 **समय (Server Time) 17:00 Hrs. (05:00 PM) तक**

छत्तीसगढ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2021 संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट ***www.cgdme.in एवं www.cgdme.admissions.nic.in*** पर उपलब्ध है, काउंसिलिंग, आबंटन एवं प्रवेश संबंधित जानकारी हेतु **वेबसाईट का नियमित अवलोकन वांछनीय है।**

प्रवेश वर्ष 2021 में अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय काउंसिलिंग के समय पंजीयन शुल्क **(Registration Fee / Security Deposit Money)** की राशि जमा न कर पाने के कारण की गई शिकायतों एवं माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका WPC No. 1632 of 2022 Prachi Sharma D/o Shri Mukesh Sharma Vs State Of Chhattisgarh, WPC No. 1691 of 2022 Mayank Kumar Pandey vs Union of India, through the Secretary and others एवं अन्य प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए काउंसिलिंग में आने वाले जटिलताओं के निवारण हेतु इस वर्ष चिकित्सा स्नातकोत्तर (**MD/MS**) काउंसिलिंग में ऑल इंडिया द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) काउंसिलिंग के प्रथम चरण में लिये जा रहें शुल्क की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर ***(MD/MS)*** पाठ्यक्रम की प्रथम चरण काउंसिलिंग में ऑनलाईन आवेदन शुल्क रू. 2,000 / – (रू. दो हजार मात्र) के साथ पंजीयन राशि (**Registration Money / Security Deposit Money**) ली जा रही है।

क्रमशः–2–

08/08/23

पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि) :—

यह राशि वापसी योग्य (Refundable) है, किन्तु द्वितीय काउंसिलिंग में पी.जी. सीट आबंटन उपरान्त प्रवेश नहीं लेते है अथवा प्रवेश लेकर सीट त्यागते है तो, यह राशि राजसात (Forfeit) कर ली जायेगी (संलग्न राजपत्र में देखे बिन्दु क्र0 11 की तालिका कॉलम 4 में उल्लेखित पंजीयन शुल्क " संलग्न : भारत का राजपत्र असाधारण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् नई दिल्ली का अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 2018 सं.भा.आ.प.–18(1)/2018–मेड./100818 ")

पंजीयन राशि		
श्रेणी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटो हेतु पंजीयन राशि	निजी महाविद्यालय अथवा निजी महाविद्यालय + शासकीय महाविद्यालय हेतु पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)
UR	25,000/– (रू. पच्चीस हजार मात्र)	2,00,000/– (रू. दो लाख मात्र)
SC/ST/OBC	12,500/– (रू. बाहर हजार पांच सौ मात्र)	2,00,000/– (रू. दो लाख मात्र)

शुल्क जमा हेतु Internet Banking / Debit Card / Credit Card एवं UPI ही मान्य होंगे तथा रिफण्ड जमाकर्ता खाते में ही वापस किया जायेगा।

पूर्व सत्र की भांति आबंटन उपरान्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर आवेदक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण जारी रखता है, तो यह पंजीयन राशि जिस खाते से जमा की गई थी, उसी खाते में ही वापस (Refund)की जायेगी। **बैंक खाता (Bank Account) परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।**

यदि द्वितीय काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त आवेदक प्रवेश नहीं लेता है तो, पंजीयन शुल्क की राशि राजसात (Forfeit) हो जायेगी।

आवेदक सावधानी पूर्वक वे ही विषय व संस्था चयन करें, जिसमें उन्हें प्रवेश लेना है, अन्यथा प्रवेश नहीं लेने पर आपकी जमा की गई पंजीयन शुल्क राशि, राजसात (Forfeit) हो जायेगी।

नोट :–
1. **छत्तीसगढ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2021 का अवलोकन करें।**
2. यदि ऑन–लाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit भी कर चुके है, तब भी **ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते है तो परिवर्तन हेतु निशुल्क Reset करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तक उपलब्ध रहेगी।**
3. **काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी हेतु नियमित वेबसाइट www.cgdme.in एवं www.cgdme.admissions.nic.in अवलोकन करें।**
4. **काउंसिलिंग की समस्त प्रकिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था तथा विषय चयन, च्वाईस लॉकिंग,बोनस अंक इत्यादि) अभ्यर्थी द्वारा स्वंय किया जाता है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आबंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी एवं यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं होगी।**

08/08/23

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़